



**बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।**

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना-800 014

संख्या व.सं.-

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक-

विषय - रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि० द्वारा मुंगेर, बाँका एवं भागलपुर जिलान्तर्गत सुलतानगंज-बाँका-भागलपुर पथ के किनारे ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 3.07697 हे० वन भूमि का "स्टेट कॉन्डिनेटर, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लि० बिहार, पटना" के पक्ष में अपयोजन के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक 11-09/98 FC दिनांक 07.09.2015 पत्रांक FC-11/165/2019-FC दिनांक 27.07.2020 (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में एवं बिहार सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, के पत्रांक 642 (ई०) दिनांक 30.05.2018 तथा पत्रांक 1371 (ई०) दिनांक 19.12.2018 द्वारा निजी एजेंसियों के लिये भी अपयोजन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से अनुमोदनोपरान्त स्वीकृति आदेश निर्गत करने का निर्देश दिया गया है।

2. रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि० द्वारा मुंगेर, बाँका एवं भागलपुर जिलान्तर्गत सुलतानगंज-बाँका-भागलपुर पथ के किनारे ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत कुल 3.07697 हे० वन भूमि अपयोजन हेतु स्टेट कॉन्डिनेटर, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लि० बिहार, पटना का प्रस्ताव जाँचोपरान्त वन संरक्षक, भागलपुर अंचल, भागलपुर एवं वन्यप्राणी अंचल, पटना के माध्यम से प्राप्त हुआ है। परियोजना का निर्माण तीन वन प्रमंडलान्तर्गत होना है जिसमें अपयोजित होने वाली वन भूमि एवं पातित होने वाली वृक्षों की संख्या निम्नलिखित है-

क्रम सं०	वन प्रमंडल का नाम	क्षेत्रफल (हे० में)	पातित होने वाली वृक्षों की संख्या
1	मुंगेर	1.4385	0
2	बाँका	1.3631	0
3	भागलपुर	0.27537	0
	कुल	3.07697	0

3. प्रस्तावित ऑप्टिकल फाइबर केबल मुंगेर, बाँका एवं भागलपुर जिलान्तर्गत अधिसूचित पथ (वन भूमि) किनारे से होकर गुजरती है। यह पथ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या 921 (E) दिनांक 28.08.1997 द्वारा अधिसूचित है। इस क्रम में तालिका के अनुसार कुल 3.07697 हे० वन भूमि के अपयोजन एवं शून्य वृक्षों के पातन की अनुशंसा वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर, बाँका एवं भागलपुर तथा वन संरक्षक, भागलपुर अंचल, भागलपुर एवं वन्यप्राणी अंचल, पटना द्वारा किया गया है।
4. वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर एवं भागलपुर द्वारा भाग-II की प्रविष्टि में प्रतिवेदित किया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन कर कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। परन्तु वन प्रमंडल पदाधिकारी, बाँका द्वारा भाग-II की प्रविष्टि में प्रतिवेदित किया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन कर वर्ष 2017 में कार्य कर लिया गया है, वर्तमान में कार्य बंद है। तीनों वन प्रमंडल पदाधिकारियों द्वारा प्रतिवेदित किया है कि अपयोजित होने वाली वन भूमि वन्यप्राणी आश्रयणी एवं राष्ट्रीय उद्यान का भाग नहीं है।
5. वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर, बाँका एवं भागलपुर द्वारा भाग-II की प्रविष्टि में परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि का वानस्पतिक घनत्व क्रमशः 0, 0.1 एवं 0.04 अंकित किया गया है। ऑप्टिकल फाइबर केबल लाईन को मूल टोपोशीट नक्शा पर दर्शाते हुए संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित मूल टोपो शीट नक्शा Index के साथ संलग्न किया गया है। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपयोजित होने वाली वन भूमि का Geo Reference Map ऑन लाईन में प्रदर्शित है।
6. परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये जिला पदाधिकारी, मुंगेर, बाँका एवं भागलपुर द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-43/2013-FC दिनांक 26.02.2019 के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र, सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के अनुपालन के साथ उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृति दी गयी है। तदालोक में बिना FRA, 2006 प्रमाण पत्र के ही प्रस्ताव पर Stage-I की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव अग्रसारित किया जा रहा है।
7. परियोजना निर्माण के क्रम में वृक्षों का पातन प्रस्तावित नहीं होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक FC-11/165/2019-FC दिनांक 27.07.2020 (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में क्षतिपूरक वनीकरण की अनुशंसा प्रस्ताव के साथ नहीं किया जा रहा है।
8. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है।
 1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
 2. Optical fiber Cable प्रस्ताव हेतु NPV देय नहीं है।
 3. प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा 1.3631 हे० में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन वर्ष 2017 में करने के कारण MoEF&CC, नई दिल्ली के पत्रांक 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के आलोक में NPV के समतुल्य राशि रु० 8,53,300/- मात्र का प्रतिवर्ष 12% ब्याज के साथ कुल रुपये 95,56,967/- मात्र को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के पक्ष में अतिरिक्त जमा किया जायेगा।
9. प्रस्ताव की एक प्रति अनुलग्नक के साथ अग्रेतर कार्रवाई हेतु इस पत्र के साथ संलग्न भेजा जा रहा है। उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।
10. Laying of underground optical fiber cable अपयोजन स्वीकृति का यह आदेश समान्य स्वीकृति के तहत अपयोजन की शक्ति भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को देने के क्रम में अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जायेगा।

11. अनुरोध है कि प्रस्ताव पर राज्य सरकार की सहमति संसूचित करने की कृपा की जाय, जिसके बाद नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार के द्वारा Stage-I स्वीकृति पत्र निर्गत किया जायेगा।

अनु०-यथोक्त।

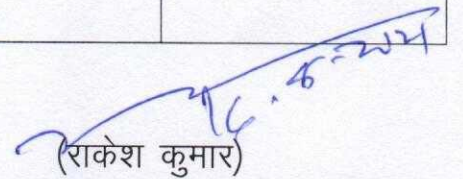
विश्वासभाजन,

16.8.24
(राकेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि० द्वारा मुंगेर, बाँका एवं भागलपुर जिलान्तर्गत सुलतानगंज-
बाँका-भागलपुर पथ के किनारे ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु वन (संरक्षण)
अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 3.07697 हे० वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव का चेक लिस्ट-

क्र० सं०	विवरणी	अभ्युक्ति
1	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र-I	संलग्न।
2	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी Undertaking	संलग्न।
3	प्रयोक्ता एजेंसी एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी के द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित टोपोशीट नक्शा	संलग्न।
4	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा समर्पित Geo-referenced नक्शा	संलग्न।
6	वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर, बाँका एवं भागलपुर द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र-II	संलग्न।
7	वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर, बाँका एवं भागलपुर का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन	संलग्न।
8	वन संरक्षक, भागलपुर अंचल, भागलपुर एवं वन्यप्राणी अंचल, पटना द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र-III	संलग्न।
9	नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र-IV	संलग्न।


(राकेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।